

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 344 / 14

संस्थापन दिनांक:-17 / 06 / 14

फाईलिंग नं. 233504002352014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

पिंटू उर्फ कृष्णा पिता नारायण अलड़क

उम्र 28 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी जम्बाड़ा,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 01.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने 24.05.2014 को समय 09:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के घर की छपरी ग्राम जम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी महादेव के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.05.2014 को रात करीब 8 बजे रोटी खाकर सो गये थे। रात करीब 09:30 बजे अभियुक्त उसके घर में आया और गंदी गंदी मां बहन की गालियां देने लगा। जिस पर वह खटिया से उठने लगा तो अभियुक्त ने उसके घर में उसके पास में आकर अंधेरा में किसी चीज से उसे बांयी पसली पर मारा जिस पर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगायी तो उसकी पत्नी उसे बचाने आयी तो अभियुक्त ने उसे भी दांहिने हाथ में मारा। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 361/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश

किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 325, 506 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 452 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महादेव के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 महादेव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के पूर्व अभियुक्त का उसके बेटे प्रभाकर से विवाद हुआ था। फिर उसी दिन अभियुक्त रात्रि करीब 9 बजे तलवार लेकर घर पर आया। पार्वती (अ.सा.-2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि घटना दिनांक को रात्रि करीब 9 बजे अभियुक्त घर पर तलवार लेकर आया और विवाद करने लगा।

7 महादेव (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था और मोहल्ले में शादी में गया हुआ था लेकिन इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि जब वह

अभियुक्त से तलवार छुड़ा रहा था तो तलवार उसकी पसली में लगी थी। पार्वती (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में इस सुझाव को गलत बताया है कि रात्रि करीब 09:30 बजे अभियुक्त की आवाज आयी तब उसके पति ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त घर के अंदर घुसकर विवाद करने लगा। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि झगड़ा घर के बाहर हुआ था।

8 बाबूलाल पवार (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 25.05.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी महादेव की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 361/14 में (प्रदर्श प्री-1) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दिनांक को ही डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 27.05.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-7) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

9 महादेव (अ.सा.-1) एवं पार्वती (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को रात्रि करीब 09:00 बजे उनके घर पर तलवार लेकर आया था परंतु पार्वती (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से झगड़ा घर के बाहर हुआ था। साथ ही साक्षी महादेव एवं पार्वती के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने उपहति कारित करने की तैयार के साथ फरियादी महादेव के घर के अंदर प्रवेश किया हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी के घर की छपरी ग्राम जम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी महादेव के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। फलतः अभियुक्त पिंटू उर्फ कृष्णा को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)